संख्या-14/2018/आडिट-2-1609/दस-2018-355(11)/2017

प्रेषक,

सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एवं पंचायतें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2018

विषयः- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 द्वारा संपरीक्षा शुल्क लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायते, उत्तर प्रदेश द्वारा संपरीक्षित संस्थाओं/ निकायों से संपरीक्षा शुल्क लिये जाने की व्यवस्था समाप्त किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-12/2018/आडिट-2-695/दस-2018-355(11)/2017, दिनांक 01.10.2018 त्रुटिवश अपलोड हो जाने के कारण इसे निरस्त करते हुए उ0प्र0 शासनादेश की वेबसाइट "shasnadesh.up.nic.in" पर ब्लाक कर दिया गया है। इसके स्थान पर शासनादेश संख्या-13/2018/आडिट-2-695/दस-2018-355(11)/2017, दिनांक 01.10.2018 शासनादेश की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय,

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या-14/2018/आडिट-2-1609(1)/दस-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. संबंधित समस्त संस्थाएं/ निकाय, उत्तर प्रदेश ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in